रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7 , 2017/ आषाढ़ 16, 1939
No. 272] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 2017/ ASADHA 16, 1939

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2017

आधार (नामांकन और अद्यतन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017

(2017 का संख्या 2)

सं. 13012/79/2017/विधि–यूआईडीएआई (2017 का संख्या 2).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 54 की उप–धारा (2) के उप–खंड (एन) और उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्द्वारा आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का सं. 2) में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—**

(1) इन विनियमों को आधार (नामांकन और अद्यतन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का सं. 2) कहा जाएगा।

(2) ये विनियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 में संशोधन.—**

i आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 में "जिनका नामांकन अभी होना है" शब्दों के बाद, "या जिनके आधार विवरण को अद्यतन किया जाना है" शब्दों को अन्तर्निविष्ट किया जाएगा;

ii आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के बाद नए विनियम 12ए की प्रविष्टिः

12ए— दायित्व पूर्ति आदि के लिए आधार की अपेक्षा रखने वाली एजेंसियांः—

प्राधिकरण को किसी केंद्रीय अथवा राज्य सरकारी विभाग अथवा एजेंसी, जो किसी व्यक्ति से किसी सब्सिडी, लाभ, सेवा अथवा किसी अन्य अधिनियम या नियम या विनियम या इनके अन्तर्गत बनाए गए आदेश के अनुसरण में दायित्व पूर्ति के लिए अधिप्रमाणन करवाने अथवा आधार नंबर का प्रमाण प्रस्तुत करने की शर्त रखती है, से यह अपेक्षा होगी कि वे अपने परिसर में नामांकन केन्द्र स्थापित करें ताकि ऐसे व्यक्ति, जिसने अभी तक नामांकन नहीं कराया है या अपना आधार विवरण अद्यतन नहीं कराया है, का नामांकन सुनिश्चित हो।

3. आधार (नामांकन और अद्‌यतन) विनियम, 2016 के विनियम 21 में संशोधन .–

आधार (नामांकन और अद्‌यतन) विनियम, 2016 के विनियम 21(1) में, "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक" शब्दों को "अनुसूचित बैंकों" शब्दों द्‌वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

डॉ. अजय भूषण पाण्डेय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन–III/4/असा./141/17]

THE UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2017

Aadhaar (Enrolment and Update) (Second Amendment) Regulations, 2017

(No. 2 of 2017)

No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 2 of 2017).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-clause (n) of sub-section (2) of Section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 (No. 2 of 2016), namely:-

1. Short title and commencement.-

i. These regulations may be called the Aadhaar (Enrolment and Update) (Second Amendment) Regulations, 2017 (No. 2 of 2017).

ii. These shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016.-

i. In Regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, after the words "who are yet to be enrolled", the words "or update their Aadhaar details" shall be inserted;

ii. Insertion of new Regulation 12A after Regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016.-

"**12A. Agencies requiring Aadhaar as condition for fulfilment of any obligation, etc. -**

The Authority may require any Central or State department or agency which requires an individual to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number as a condition for receipt of any subsidy, benefit, service or fulfilment of any obligation pursuant to any other Act or Rule or Regulation or order made thereunder, to ensure enrolment of such individual who is yet to be enrolled or update their Aadhaar details, by setting up enrolment centres at their premises."

3. Amendment to Regulation 21 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016.-

For the words "Public Sector banks" appearing in the Regulation 21 (1) of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the words "Scheduled banks" shall be substituted.

Dr. AJAY BHUSHAN PANDEY, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./141/17]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.07.07 13:48:33 +05'30'